

विपेंद्र सिंह यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

कार्य विभाजन आदेश-2025

// दसवा संशोधन //

क्रमांक / / का.वि. / 25

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30.04.2026

मैं, विपेंद्र सिंह यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छिंदवाड़ा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 15(2) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कार्य सुचारु रूप से संचालित करने हेतु जिला छिंदवाड़ा में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य दांडिक कार्य विभाजन आदेश 13.01.2025 में **दसवा संशोधन** माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन से निम्नानुसार करता हूँ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से दिनांक **30.04.2026** से प्रभावशील होगा।

1. कार्यविभाजन पत्रक दिनांक 13.01.2025 में संशोधन कर स्तम्भ क्र०-2 में अंकित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का नाम विलोपित कर, स्तम्भ क्र०-3 में अंकित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का नाम प्रतिस्थापित किया जाता है।

(1)	स्तंभ क्र० (2)	स्तंभ क्र० (3)
क्रं	(पूर्व पदस्थ) न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	(वर्तमान पदस्थ) न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम
1.	सुश्री संयोगिता खत्री, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर म०प्र०	सुश्री प्रगति असाटी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर म०प्र०

2. कार्यविभाजन आदेश 2025 दिनांक 13.01.2025 में तहसील न्यायालय सौंसर से संबंधित कांडिका क्र.-25 के स्तंभ क्रमांक-3 के अनुसार विभाजित आरक्षी केंद्र में **"लोधीखेड़ा"** भी समाविष्ट किया जाता है।

3. कार्यविभाजन आदेश 2025 दिनांक 13.01.2025 के परिशिष्ट-अ धारा-183 भा०ना०सु०सं० के अंतर्गत साक्षियों एवं अभियुक्तगण के कथन/संस्वीकृतियां हेतु निर्मित तालिका में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्र.	आरक्षी केंद्र का नाम	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम जो कथन लेख करेंगे।	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम जो कॉलम 2 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट के उपस्थित न रहने की स्थिति में कथन लेख करेंगे।	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम जो कॉलम 3 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट के उपस्थित न रहने की स्थिति में कथन लेख करेंगे
------	----------------------	--	---	--

न्यायालय - सौंसर				
16	थाना सौंसर, बिछुआ	सुश्री प्रगति असाटी, न्या.मजि.प्र.श्रे. सौंसर	श्रीमती हर्षिता पिपरेवार, न्या.मजि.प्र.श्रे. पांडुर्णा	श्री रविशंकर भलावी, न्या.मजि.प्र.श्रे. पांडुर्णा

17	थाना लोधीखेड़ा मोहगांव	श्री सचिन जैन, न्या.मजि.प्र.श्रे. सौंसर	श्रीमती हर्षिता पिपरेवार, न्या.मजि.प्र.श्रे. पांडुर्णा	श्री रविशंकर भलावी, न्या.मजि.प्र.श्रे. पांडुर्णा
न्यायालय – पांडुर्णा				
19	पांडुर्णा	श्री रविशंकर भलावी, न्या.मजि.प्र.श्रे. पांडुर्णा	सुश्री प्रगति असाटी, न्या.मजि.प्र.श्रे. सौंसर	श्री सचिन जैन, न्या.मजि.प्र.श्रे. सौंसर

6. न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर रहने या अन्य किसी कारण से उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में अत्यावश्यक कार्य संपादन हेतु कार्यविभाजन पत्रक दिनांक 13.01.2025 के तृतीय संशोधन दिनांक 16.04.2025 एवं सप्तम संशोधन दिनांक 23.02.2026 में निर्मित **परिष्ठा-ब** की तालिका में जिला स्थापना छिंदवाड़ा एवं तहसील स्थापना तामिया, सौंसर व पांडुर्णा में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों के संबंध में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

यही कम अनुपस्थिति की दशा में आगे कमानुसार जारी रहेगा :-

क.	कॉलम नं.-1	कॉलम नं.-2	कॉलम नं.-3
जिला न्यायालय छिंदवाड़ा			
1	श्री विपेंद्र सिंह यादव मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिंदवाड़ा	कु0 विकसिता मरकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाड़ा	सुश्री नंदनी उईके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाड़ा
2	कु0 विकसिता मरकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाड़ा	सुश्री नंदनी उईके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाड़ा	श्रीमती जागृति सचिन चंद्रकापुरे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाड़ा
3	सुश्री नंदनी उईके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाड़ा	श्रीमती जागृति सचिन चंद्रकापुरे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाड़ा	सुश्री अंजली शाह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाड़ा
4	श्रीमती जागृति सचिन चंद्रकापुरे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाड़ा	सुश्री अंजली शाह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाड़ा	श्री गोपाल जाटव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाड़ा
5	सुश्री अंजली शाह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाड़ा	श्री गोपाल जाटव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाड़ा	श्री पंकज बुतानी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाड़ा
6	श्री गोपाल जाटव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाड़ा	श्री पंकज बुतानी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाड़ा	श्री राहुल डोंगरे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाड़ा

[illegible]

28	श्री रविशंकर भलावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पांडुर्णा	श्रीमती हर्षिता पिपरेवार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पांडुर्णा	सुश्री प्रगति असाटी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर
----	---	---	---

विशेष नोट:- प्रतिदिन विडियो कान्फेसिंग के माध्यम से कार्यदिवस में (अन्यथा आदेशित नहीं किये जाने की दशा में) रिमाण्ड कार्यवाही प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट उपरोक्त कार्यविभाजन के अनुसार सीनियार्टी पद कम के अनुसार प्रत्येक माह में लगातार 7-7 दिन कमशः रिमाण्ड सम्पादित करेंगे तथा साक्ष्य लेखन हेतु सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया जाता है।
नोट:-

1. जिला न्यायिक स्थापना छिंदवाड़ा में कॉलम नं. 3 में उल्लेखित अधिकारी अवकाश पर हैं तो तालिका के स्तंभ क्रमांक 1 की द्वितीय पंक्ति में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी द्वारा उनका कार्य निष्पादित किया जावेगा। इसी प्रकार यही क्रम आगे भी जारी रहेगा।
2. किन्हीं अपरिहार्य कारणवश कॉलम नं-1 के न्यायालय के अवकाश पर होने के फलस्वरूप उनके न्यायालय का अतिआवश्यक कार्य देखने वाले कॉलम क्रमांक 2 एवं 3 में लेख पीठासीन अधिकारियों के भी अवकाश पर रहने की स्थिति में परासिया न्यायालय के अत्याश्यक कार्य न्यायालय जुन्नारदेव में पदस्थ वरिष्ठ/कनिष्ठ न्यायिक अधिकारी (क्रमानुसार जो उपलब्ध हो) द्वारा तथा जुन्नारदेव न्यायालय के अत्याश्यक कार्य न्यायालय परासिया में पदस्थ वरिष्ठ/कनिष्ठ न्यायिक अधिकारी (क्रमानुसार जो उपलब्ध हो) द्वारा तथा तामिया न्यायालय के अत्याश्यक कार्य न्यायालय जुन्नारदेव में पदस्थ वरिष्ठ/कनिष्ठ न्यायिक अधिकारी (क्रमानुसार जो उपलब्ध हो) द्वारा अमरवाड़ा न्यायालय के अत्याश्यक कार्य न्यायालय चौरई में पदस्थ वरिष्ठ/कनिष्ठ न्यायिक अधिकारी (क्रमानुसार जो उपलब्ध हो) द्वारा तथा चौरई न्यायालय के अत्याश्यक कार्य न्यायालय अमरवाड़ा में पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी अथवा उपलब्ध किसी भी न्यायिक अधिकारी द्वारा तथा हरई न्यायालय के अत्याश्यक कार्य न्यायालय अमरवाड़ा में पदस्थ वरिष्ठ/कनिष्ठ न्यायिक अधिकारी (क्रमानुसार जो उपलब्ध हो) द्वारा तथा सौंसर न्यायालय के अत्यावश्यक कार्य न्यायालय पांडुर्णा में पदस्थ वरिष्ठ/कनिष्ठ न्यायिक अधिकारी द्वारा (क्रमानुसार जो उपलब्ध हो) तथा पांडुर्णा न्यायालय के अत्याश्यक कार्य न्यायालय सौंसर में पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी या उपलब्ध किसी भी न्यायिक अधिकारी द्वारा सम्पादित किये जायेगे।


(विपेन्द्र सिंह यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिंदवाड़ा

पृष्ठांकन क./ / का.वि./ 2025
प्रति,

छिंदवाड़ा, दिनांक 30/04/2026

- 1-माननीय रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
- 2-निज सहायक, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा।
- 3-माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय, एट्रोसिटी, छिंदवाड़ा।

- 4-प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय छिंदवाड़ा।
- 5-माननीय अपर जिला न्यायाधीश महोदय, जिला छिंदवाड़ा।
- 6-समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 7-**सांख्यिकी अनुभाग**- कार्यालय जिला न्यायालय छिंदवाड़ा।
- 8-पुलिस अधीक्षक जिला छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, बैतूल एवं नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 9-पुलिस अधीक्षक जिला छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, बैतूल एवं नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ इस अनुरोध के साथ प्रेषित की निम्नलिखित अधिनियम से संबंधित विभागों - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, विदेश व्यापार विकास और विनियमन) अधिनियम, कंपनी अधिनियम, धनकर अधिनियम, दानकर अधिनियम, आयकर अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, निर्यात क्वालिटी नियंत्रण एवं निरीक्षण अधिनियम, कंपनीज (लाभ अतिकर) अधिनियम, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के प्रभारी अधिकारियों को सूचित/प्रेषित की जायें।
- 10-पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा की ओर संबंधित आरक्षी केन्द्रों/चौकियों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 11-जिला कलेक्टर छिंदवाड़ा।
- 12-कमिश्नर नगर निगम छिंदवाड़ा।
- 13-जिला आबकारी अधिकारी छिंदवाड़ा।
- 14-जिला खनिज अधिकारी।
- 15-मुख्य वन संरक्षक छिंदवाड़ा।
- 16-उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन छिंदवाड़ा।
- 17-लोक अभियोजक छिंदवाड़ा।
- 18-उपसंचालक लोक अभियोजन छिंदवाड़ा।
- 19-जिला अभियोजन अधिकारी छिंदवाड़ा।
- 20-सहायक लोक अभियोजन अधिकारी सौंसर/पांडुर्णा/परासिया/जुन्नारदेव/अमरवाड़ा/चौरई/तामिया/हरई।
- 21-अध्यक्ष अभिभाषक संघ छिंदवाड़ा/सौंसर/पांडुर्णा/परासिया/जुन्नारदेव/अमरवाड़ा/चौरई/तामिया/हरई।
- 22-**जूनियर सिस्टम एनालिस्ट**, जिला न्यायालय छिंदवाड़ा की ओर सभी न्यायिक अधिकारीगण एवं विभागों को ई-मेल द्वारा सूचित किये जाने बाबत प्रेषित।


 (विपेंद्र सिंह यादव)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 छिंदवाड़ा